न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—135/201675 (2016/00135)

1. नरेशचन्द्र बींजावत पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद बींजावत, नि0 660 हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) पुष्कर रोड़, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक15.12.2015 .

उपस्थितः—

1. श्री के0के0पुरोहित, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः—26.11.2018

1. यह अपील विद्वान आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा राजस्थान कृषि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन में स्थित आराजी खसरा नंबर 726/967 किस्म बारानी/2 रकबा 4.91 है0 भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से कोई जवाब नहीं आने पर अपीलांट द्वारा पुनः दिनांक 8.12.2014 को वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु पुनः पत्र लिखा किन्तु कोर्ठ संतोषजनक जवाब न मिलने पर अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 7245/2015 प्रस्तुत की जिसमें मान0उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.5.2015 को आदेश पारित किये जिसकी पालना में अपीलांट ने जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर मान0 न्यायालय के आदेशों की पालना हेतु निवेदन किया जिस पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को पत्र प्रेषित कर मान0 उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 26.5.2016 की अनुपालना में भूमि आवंटन का निवेदन किया । उक्त क्रम में अपीलांट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु भू—आवंटन सलाहकार समिति से परीक्षण कराया गया तत्पश्चात् भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 15.12.2015 को खारिज करने के आदेश

पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति, पीसांगन द्वारा तहसीलदार, पीसांनग एवं कषि पर्यवेक्षक भगवानपुरा द्वारा प्रस्तुत एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज करने में भूल की है क्योंकि तहसीलदार एवं कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रार्थी के प्रति दुर्भावनापूर्वक एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत तैयार की गई थी । तहसीलदार की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 2.4.2014 एवं 15.12.2015 में भिन्नता है जिससे यह पूर्णतया साबित होता है कि पश्चात्वर्ती रिपोर्ट द्वेषतापूर्वक, भौतिक स्थिति के विपरीत तैयार कराई गई है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 2.4.2014 में कहीं भी दर्शित नहीं किया कि मौके पर कालिका माता व जुंझारजी का स्थान बना हुआ है और ना ही यह उल्लेख किया है कि वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक उपयोग में आ रही है । दिनांक 15.12.2015 की रिपोर्ट कपोल कल्पित है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट एक भूतपूर्व सैनिक एवं भूमिहीन है जो विवादित आराजी के आवंटन की पात्रता रखता है किन्तु अधी0न्याया0 ने द्वेषतापूर्वक अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आवंटन सलाहकार समिति, पीसांगन द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांक 15.12.2015 को खारिज कर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 426/967 रकबा 0.491 है0 वाके ग्राम सवाईपुरा, तह0 पीसांगन का आवंटन करने हेतु आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 15.12.2015 की जानकारी अपीलांट को कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/राजस्व/विविध/15/14365 दिनांकित 17.12.2015 जो दिनांक 22.12.2015 को प्राप्त हुआ से हुई है । तत्पश्चात् अपीलांट ने जिला कलक्टर कार्यालय में उक्त आदेश की प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर ज्ञात हुआ कि उक्त निर्णय की प्रति कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन से प्राप्त होगी तब अपीलांट ने दिनांक 12.2.2016 को उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के कार्यालय में निर्णय की प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर प्रमाणित प्रति दिनांक 3.3.2016 को अभिभाषक को प्राप्त हुई किन्तु अभिभाषक की दादी का निधन हो से उसके अभिभाषक द्वारा उक्त प्रमाणित प्रति अपीलांट को दिनांक 18.3.2016 को दी । तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा संबंधित दस्तावेज एकत्रिक कर बिना किसी विलंब के जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 2 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि तालाब एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर धार्मिक स्थान बना हुआ है । उक्त भूमि पर नरेगा के तहत खुदाई का कार्य भी हुआ है । विवादित भूमि ग्राम की आबादी से लगे होने से आवंटन नियम 1970 के नियम 4 क अनुसार आवंटन योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से

निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर ग्राम सवाईपुरा, तह0 पीसांगन के खसरा नंबर 726/967 किस्म बारानी–2 रकबा 4.91 है0 भूमि के आवंटन हेतु आवंटन नियम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 101 के तहत अनाधिकृत राजकीय भूमि आवंटन हेतु तहसीलदार, पीसांगन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार, पीसांगन ने मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 19.2.2014 को पटवारी हल्का भगवानपुरा को भेजकर निर्देश दिये कि रिकार्ड, मौका एवं किसी प्रकार के विवाद संबंध पूर्ण जांच कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे । पटवारी हल्का भगवानपुरा ने अपनी जांच रिपोर्ट तहसीलदार, पीसांगन को प्रेषित की जिसमें ग्राम सवाईपुरा के खसरा नंबर 726/967 रकबा 4.91 है0 भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 1 में सिवायचक काबिल काश्त किस्म बारानी–2 दर्ज होना अंकित किया तथा वर्तमान में मोके पर पड़त होना अंकित करते हुए किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने तथा किसी न्यायालय में विवाद विचाराधीन नहीं होने का भी अंकन किया है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि मौके पर भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा मोके पर भूमि टीले के रूप में है जिसे समतल किया जा सकता है । उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा पुनः दिनांक 8.12.2014 को विवादित भूमि के आवंटन हेतु पत्र लिखा गया किन्तु उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने पर अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 7245/2015 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने दिनांक 26.5.2015 को प्रार्थी के प्रकरण में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही के आदेश दिये गये । तत्पश्चात् प्रार्थी/अपीलांट ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मान0 उच्च न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के कार्यालय से पत्र क्रमांक 13581 दिनांक 1.12.2015 को उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को प्रेषित कर अपीलांट के प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखते हुए अतिशीघ्र निस्तारण की कार्यवाही के निर्देश दिये गये । विद्वान जिला कलक्टर के उक्त निर्देशों की पालना में उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने अपीलांट के प्रकरण को भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखकर दिनांक 15.12.2015 को अपीलांट का प्रकरण इस आधार पर खारिज किया है कि '' प्रार्थी के द्वारा आवंटन हेतु चाही गई भूमि तहसीलदार एवं कृषि पर्यवेक्षक क रिपोर्ट के अनुसार कृषि योग्य नहीं होने, मौके पर देव सागर तालाब के नाम से जानी जाने एवं नरेगा द्वारा खुदाई होने, धार्मिक स्थान होने, समुदाय के उपयोग में आने से, ग्राम विकास समिति द्वारा वृक्षारोपण करने, चराई के उपयोग में आने से एवं ए0डी0ए0 के ग्राम सूरजकुण्ड से 1/2 किमी की दूरी पर होने से

कृषि प्रयोजनार्थी आवंटन योग्य नहीं होने एवं भूमि के ग्राम आबादी के साथ लगे होने से आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार आवंटन हेतु वर्जित है ।''

9. अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार के मौका पर्चा दिनांक 15.12.2015 का अवलोकन किया गया जिसमे यह अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 726/967 मौके पर उबड़–खाबड़ व टीबा है जिसमें 20से 25 फीट गहरे खड्डे होने, भूमि देव सागर तालाब के नाम से जानी जाने तथा विवादित भूमि की नरेगा के तहत खुदाई कराये जाने, उक्त भूमि पर कालकी माता, देवजी व झूंझार जी का स्थान बने होने एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने तथा ए0डी0ए0 के ग्राम सूरजकुण्ड से मात्र आधा कि0मी0 दूरी पर स्थित होने तथा चराई के उपयोग में आने एवं कृषि योग्य नहीं होने का अंकन किया है । आवंटन सलाहकार समिति ने इसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है ।

10. अधी0न्याया0 की पत्रावली में विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार, पीसांगन की दो अलग–अलग मौका रिपोर्ट दिनांक 2.4.2014 एवं 15.12.2015 उपलब्ध है । मौका रिपोर्ट दिनांक 2.4.2014 में तहसीलदार ने विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने एवं मौके पर रिक्त होकर कृषि योग्य होना अंकित किया है जबकि दूसरी मौका रिपोर्ट दिनांक 15.12.2015 में विवादित भूमि को आवंटन योग्य नहीं होने का अंकन किया है । दोनों मौका रिपोर्ट एक दूसरे के विपरीत है । अपीलांट का यह भी कथन है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 15.12.2015 तैयार करते समय अपीलांट को सुना नहीं गया है । तहसीलदार द्वारा एकतरफा में मौका रिपोर्ट दिनांक 15.12.2015 को एकतरफा में तैयार की गई है तथा उक्त रिपोर्ट पूर्व रिपोर्ट दिनांक 2.4.2014 के विपरीत है तथा ऐसी विरोधाभासी रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश को भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उक्तानुसार प्रकरण में तहसीलदार, पीसांगन की दो विरोधाभाषी रिपोर्ट के कारण हम उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन से विवादित भूमि का पुनः मौका निरीक्षण उभयपक्षों की उपस्थिति में करवाया जाना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 15.12.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विद्वान आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन स्वंय विवादित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तैयर कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को विधिसंगत रूप से निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर